



लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग



विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-812-250 4980, फैक्स : +91-812-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS-LSBA/Proj/18/17-231

दिनांक: 13/08/2020

प्रेषक,

बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के निर्माण में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में कार्यरत कर्मियों को अभिकर्ता बनाए जाने संबंधी प्राप्त सूचना के संबंध में।

प्रसंग

इस कार्यालय का पत्रांक BRLPS/LSBA/Proj/18/17/728 दिनांक 01.10.2019

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के IMIS पोर्टल के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई जिलों द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के निर्माण में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में कार्यरत कर्मियों को अभिकर्ता बनाया जा रहा है, एवं उनके नाम से संबंधित खाता खोले जाने हेतु बैंक में आवेदन समर्पित किया जा रहा है, जो नियमों एवं प्रावधानित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

विदित है कि इस कार्यालय का पत्रांक 728 दिनांक 01.10.2019 के बिन्दु (ii) में स्पष्ट वर्णित है कि संबंधित महादलित/दलित बाहुल्य टोलों/बसावटों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) निर्माण हेतु ग्राम पंचायत/जीविका के ग्राम संगठन/CLF या प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चिन्हित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि विभागीय निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु क्रियान्वयन एजेंसी का चयन कराया जाय एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को अभिकर्ता नहीं बनाया जाय। यदि जिलों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मियों को अभिकर्ता बनाकर खाता खोले गए हैं अथवा खाता खोले जा रहे हैं, उसे अविलंब रोकते हुए खुले खातों में से रकम वापसी की कार्रवाई की जाय एवं पुनः क्रियान्वयन एजेंसी चिन्हित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(बालामुरुगन डी०)



लापांक: BRLPS-LSBA/Proj/18/17-231

दिनांक: 13/08/2020

प्रतिलिपि: सभी जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक-सह-सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बालामुर्गन डी०)